कृषि मंत्रालय

कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 168

6 दिसम्‍बर, 2013 को उत्‍तारार्थ

**विषय: सूखा-प्रभावित राज्‍यों को वित्‍तीय अनुदान**

**168. श्री शादी लाल बत्रा:**

क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्‍या सरकार की सूखा-प्रभावित क्षेत्रों को पैकेज देने की कोई योजना है,
2. यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान दिए गए पैकेज का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्‍यौरा क्‍या है, और
3. क्‍या सरकार का किसानों को हुए नुकसान के समान समुचित वित्‍तीय अनुदान प्रदान करने के लिए एक सूखा राहत कोष बनाने का विचार है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**

1. राज्‍य सरकारों ने राज्‍य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से सूखा सहित, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के संबंध में अनिवार्य राहत उपाय आरम्‍भ किए हैं, जो कि उन्‍हें सहजता से उपलब्‍ध है। एसडीआरएफ के लिए योगदान सामान्‍य श्रेणी राज्‍यों (28 में से 17 जिनके नाम हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्‍तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्‍ड, कर्नाटक, केरल, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्‍थान, तमिलनाडु, उत्‍तर प्रदेश तथा पश्‍चिम बंगाल) के लिए 3:1 के अनुपात में तथा विशेष श्रेणी राज्यों ( 28 में से 11 यथा 8 उत्‍तरपूर्वी राज्‍यों जिनके नाम हैं अरूणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्‍किम तथा हिमाचल प्रदेश, जम्‍मू एवं कश्‍मीर तथा उतराखंड के तीन पहाड़ी राज्‍यों ) के लिए 9:1 के अनुपात में केन्‍द्रीय तथा राज्‍य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार गम्‍भीर प्रकृति के आपदाओं से निपटने के लिए अपेक्षित वित्‍तीय तथा संभार तंत्र सहायता प्रदान कर राज्‍य सरकारों के प्रयासों को पूरा करता है। एसडीआरएफ के अलावा, अतिरिक्‍त वित्‍तीय सहायता, स्‍थापित प्रक्रिया तथा सीमित मानकों के अनुसार गम्‍भीर प्रकृति के प्राकृतिक आपदाओं हेतु राज्‍य आापदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से भी प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ के अंतर्गत आबंटन 5 वर्षों (2010-11 से 2014-15 तक) की अवधि के लिए 13वें वित्‍तीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।
2. वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान सूखा प्रभावित राज्‍यों के लिए राष्‍ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अनुमोदित सहायता के विवरण अनुबंध में है।
3. सूखा सहित, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु निधि आवश्‍यकता के अनुसार, एनडीआरएफ से प्राप्‍त की जाती है, कृषि मंत्रालय का सूखा राहत कोष के सृजन का कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

अ. प्र. संख्‍या 168

अनुबंध

2011-12 एवं 2012-13 सूखा प्रभावित राज्‍यों के लिए राष्‍ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अनुमोदित सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(रूपये करोड़ में)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्रम संख्‍या | राज्‍य | 2011-12 सूखा  अनुमोदित सहायता\* | 2012-13 सूखा  अनुमोदित सहायता\* |
| 1. | आन्‍ध्र प्रदेश | 706.15 | 142.97 |
| 2. | गुजरात | --- | 864.71 |
| 3. | कर्नाटक | (खरीफ) 186.68  (रबी) 282.35 | 526.06 |
| 4. | केरल | -- | (खरीफ) 62.61  (रबी) 107.89 |
| 5. | महाराष्‍ट्र | 574.71 | (खरीफ) 778.09  (रबी) 1036.98 |
| 6. | राजस्‍थान | -- | 320.64 |
| 7. | तमिलनाडु | -- | 624.69 |

* संबंधित राज्‍य सरकार के राज्‍य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में 75 प्रतिशत उपलब्‍ध शेष राशि के समायोजन के लिए